न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 112/2017 दायरा दिनांक : 23.08.2017

उनवान

1– मांगीलाल आत्मज श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– देवीलाल आत्मज श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– पन्नीबाई पुत्री श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– कालू आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– गुलाब चन्द आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– रमेश आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– कल्याण आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1– नारायण आत्मज गेन्दा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– भंवरलाल आत्मज चतरा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

3– धन्नालाल आत्मज चतरा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– राधेश्याम आत्मज हीरा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– घनश्याम आत्मज मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– औंकार आत्मज मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– भैरू आत्मज मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– नैनजीराम आत्मज मूलचन्द, नाबालिग वलिया माता मांगीबाई बेवा मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– मांगीबाई बेवा मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10– शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरथाना जिला झालावाड़

11– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 113/2017 दायरा दिनांक : 23.08.2017

उनवान

1– मांगीलाल आत्मज श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2– देवीलाल आत्मज श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– पन्नीबाई पुत्री श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– कालू आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– गुलाब चन्द आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– रमेश आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– कल्याण आत्मज रामलाल, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– नारायण आत्मज गेन्दा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– भंवरलाल आत्मज चतरा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– धन्नालाल आत्मज चतरा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– राधेश्याम आत्मज हीरा, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– घनश्याम आत्मज मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6– औंकार आत्मज मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– भैरू आत्मज मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– नैनजीराम आत्मज मूलचन्द, नाबालिग वलिया माता मांगीबाई बेवा मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– मांगीबाई बेवा मूलचन्द, जाति लोधा, निवासी खेरखेड़ी, माता तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10– शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरथाना जिला झालावाड़

11– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.12.2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या –

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

138/2011, 139/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला पत्र संग्रहसार के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट में एक तरफा फैसला कर दिया जबकि केम्प कोर्ट लोक अदालत में किसी भी प्रकरण का फैसला राजीनामे के आधार पर होता है, जबकि रिकार्ड पर कोई राजीनामा नहीं है । बिना साक्ष्य, बिना ट्रायल के व बिना सबूत के अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला किया । विवादित आराजी के अपीलांट खातेदार हैं तथा पूर्व रेकार्ड में भी अपीलांट के पिता व दादा खातेदार थे, परन्तु रेस्पोडेंट ने गलत तथ्य पेश कर उक्त आराजी पर खातेदारी घोषणा के लिए गलत दावा लगाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 अपास्त किया जावे ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर अंकित तथ्यों से इंकार किया । वादीगण का कोई हक, कब्जा नहीं है तथा दावा लाने का अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी सिंचाई विभाग में दर्ज हो चुकी है सिंचाई विभाग को पार्टी नहीं बनाया, पूरी भूमि का खातेदार घोषित कर दिया । हमारी साक्ष्य भी नहीं ली गई दस्तावेजात का अध्ययन भी नहीं किया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई । प्रतिवादीगण लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत कोई उल्लेख नहीं है । लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति नहीं है और हस्ताक्षर भी नहीं है, राजीनामा भी नहीं है । अतः आदेश निरस्त योग्य है । अपने पक्ष के समर्थन में 2011 ए आई आर (एस सी) पेज 9, 2015 (2) आर आर टी पेज 990 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि दिनांक 11.05.2017 की आदेशिका है जिसमें लोक अदालत का हवाला है । कंवर लाल के घीसा व गेंदा लड़के हैं । गेन्दा का नाम नही आया है । अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सही किया है, गेन्दा का नाम भी जोड़ दिया है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका में दिनांक 05.07.2017 को तनकी कायमी हेतु पेशी नियत थी लेकिन दिनांक 15.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रकरण का फैसला कर दिया गया । पत्रावली में सलंग्न नोटिस में केम्प कोलूखेडी मालियान में दिनांक 11.06.2016 की पेशी अंकित है । जबकि फैसला दिनांक 15.07.2017 को कॅंप मनोहरथाना में किया गया है । सी पी सी के प्रावधान आदेश 5 में वर्णित प्रावधान अनुसार उक्त सम्मन नोटिस की तामील सम्यक रूप से नहीं मानी जा सकती । लोक अदालत कैम्प में पक्षकारों की सहमति बाबत भी कोई दस्तावेज सलंग्न नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिनुसार नहीं होने से निरस्त किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 112 / 201 एवं 113 / 201 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे । उभयपक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा